संख्या-307/2020/136/22-2-2018-17(333)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष जगत सिंह पुत्र श्री रजवा सिंह उर्फ राजाराम सिंह, निवासी-जिला-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0/बैठक 17.12.2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष जगत सिंह पुत्र श्री रजवा सिंह उर्फ राजाराम सिंह, पत्यौरा, थाना सुमेरपुर, जिला-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गवाही की रंजिश को लेकर दिनांक 23.07.1980 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दो नली, सिंगल बैरल बन्दूक व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 293/1980 धारा-147,148,302/149, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-02 हमीरपुर के आदेश दिनांक 05.06.1981 द्वारा दोषमुक्त किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2005 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के उक्त आदेश को रद्द करते हुये बंदी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.11.2017 तक 12 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 11 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के रिहा होने के बाद संगीन अपराध कर सकने, अनैतिक धन अर्जन की सम्भावना के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, आयु व जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जगत सिंह (बन्दी संख्या-5083/06) पुत्र श्री रजवा सिंह उर्फ राजाराम सिंह, निवासी-जिला-हमीरपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-307/2020/136(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in